न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2023

प्रार्थीया

1. तुलसी सोनी उर्फ शोभा पत्नी
गोरधन
जाति सोनी
निवासी लोहावट बिश्नावास
तहसील लोहावट
जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थी

1. शिवनारायण पुत्र मिश्राराम
2. अणदाराम पुत्र मिश्राराम
जाति जाट निवासी पश्चिमी
ढाणी, लोहावट जाटावास
तहसील लोहावट
3. गोरधन पुत्र राजमल
जाति सोनी निवासी लोहावट
बिश्नावास तहसील लोहावट
4. श्रीमान तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित:–प्रार्थी की ओर से :–अधिवक्ता श्री भोमसिंह भाटी।

–:: निर्णय ::– दिनांक 09.03.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की भूमि तहसील लोहावट पटवार मण्डल लोहावट जाटावास के राजस्व ग्राम पश्चिमी ढाणी की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 671/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 671/3 रकबा 2.4200 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 की भूमि स्थित है प्रार्थीया के पड़ौस में सरहद मौजा पश्चिमी ढाणी पटवार मण्डल लोहावट जाटावास स्थित खसरा नम्बर 671/2 रकबा 7.2520 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 अप्रार्थी संख्या 1 की, खसरा नम्बर 671 रकबा 1.4002 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 अप्रार्थी संख्या 2 की, खसरा नम्बर 671/6 रकबा 1.2060 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी अधिकारो की भूमि आई हुई है प्रार्थीया के उक्त खसरा नम्बर 671/4, 671/3 के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा सीमाओं, कणा–माठों को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीया की जमीन में घुसकर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीया ने खातेदारी की भूमि की पैमाईश के लिए तहसीलदार साहब लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा करवायी जाकर पेमाईश करने के लिए आदेश/कमांक/66–67 दिनांक 07.04.2022 को प्राप्त किया गया। जिस पर तहसीलदार लोहावट के आदेशानुसार दिनांक 01.07.2022 को हल्का पटवारी लोहावट जाटावास ने सीमांकन करने के लिये मौके पर गये तथा मौजुद पोईन्ट के अनुसार दिशाओ में चिन्हीकरण करके बताया लेकिन पडोसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा विवाद करने तथा पैमाईस से सहमत नही हुवे तथा पैमाईस फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही किये तथा हल्का पटवारी द्वारा फर्द रिपोर्ट पर मौतबिरान हस्ताक्षर करवाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2022 को पेश की गई जिसकी नकल व चालु जमाबन्दी वास्ते सबुत पेश है। हल्का पटवारी ने प्रार्थीया खेत खसरा नम्बर 671/4, 671/3 की विधिवत पैमाईश की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा पैमाईस करने के उदेश्य से मौके पर गये परन्तु पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 सहमत नहीं होने के कारण मौके पर खुटे व तारबन्दी नहीं की जा सकी तथा प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार लोहावट से पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो तहसीलदार टालम टोलम करने लगे और पत्थरगढी नहीं की तथा प्रार्थीया को सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी आदेश लाने को कहा इसलिये प्रार्थीया को माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थीग्या अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकारो की भूमि की पैमाईस नियमानुसार करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसकी सीमाओं पर पत्थर गाड कर तारबन्दी करके भूमि के निवास कार्य करना चाहते है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा सीमांकन पर प्रार्थीया को

Scanned with CamScanner

अपने खेत की सीमा पर पत्थर के खुटे व तारबन्दी नहीं करने देने से मवेशियो आदि से फसल को नुकसान पहुंचाते है जिससे प्रार्थीया को नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी के लिए टीम गठित कर पत्थगढी करवाना चाहते है ताकि हमेशा प्रार्थीया व पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़कर झगड़ा फसाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीया उक्त भूमि की सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया खातेदारी भूमि ग्राम पश्चिमी ढाणी पटवार हल्का लोहावट जाटावास तहसील लोहावट की सरहद में खेत खसरा नम्बर 671/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/3 रकबा 2.4200 हैक्टेयर भूमि की सीमांकन के आधार पर पत्थरगढी करवाने का आदेश दिलावें एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था के लिए भार साधक अधिकारी पुलिस थाना लोहावट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावे एवं सीमांकन फीस व पत्थरगढी के लिए पत्थर वरवक्त प्रार्थीया स्वयं उपलब्ध करवायेगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जरीये रजिस्टर्ड डाक से भेज कर तलब किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय ने तामिल सम्मन न्यायालय हाजा में पेश किए जिसे शामिल मिसल किए गए। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो व सीमांकन मौका फर्द का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी की भूमि का पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा किये गयें सीमाकंन की फर्द पत्रावली मे उपलब्ध है। प्रथम दृश्टया प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने की संभावना होने के कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार क़ी हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है। और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक सिद्वान्त एवं प्राकृतिक न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पश्चिमी ढाणी पटवार हल्का लोहावट जाटावास तहसील लोहावट की सरहद में खेत खसरा नंबर 671/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नंबर 671/3 रकबा 2.4200 हैक्टेयर भूमि की सीमाओं का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस थाना लोहावट से ईमदाद ली जाकर खसरा नम्बर 671/4, 671/3 की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें। प्रार्थीया इस कार्य के लिए तहसील कार्यालय में नियमानुसार राशि राजकोश में जमा करवाएं। राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार लोहावट विधिवत पत्थरगढी करवावें।

निर्णय आज राष्ट्रिय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 को सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

डॉ.अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

Scanned with CamScanner